

फर्द अहकाम

न्यायालय

सहायक न्यायाधीश (फौजदारी) - जौग

सहायक न्यायाधीश वनाम अरविन्द लाल

मुकदमा संख्या / वर्ष

: 14 / 2017

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>पेना हुई वकील द्वारा उपलब्ध प्रकरण में सुनवाई पत्रावली का अहकाम किया गया। मूल वाद मकसूरों के खिलाफ है। विशेष सुपावली एवं मैट्रिक पर निर्वाह किया जाना है। पत्रावली में मुख्य वाद बाइलता को रोकने हेतु न्यायालय आदेश में इस न्यायालय के अन्तर्गत आदेश को रखा किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12/6/19 को जारी अन्तर्गत अहकाम विशेष सुपावली को तार्किक मूल वाद रखा किया जाना है। पत्रावली के अंतर्गत सुमार डोरर वपि नम्बर से कम है। एवं मूल वाद के बावजूद अहकाम रहे।</p>	

